

प्रेषक,

अमिताभ त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश ।

शिक्षा अनुभाग-6


लखनऊ: दिनांक: 04 दिसम्बर, 2015

विषय:-वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति सव प्लान से परिवर्तन लागत मद में प्राथमिक/उच्च प्राथमिक (एन०सी०एल०पी० विद्यालयों सहित) विद्यालयों (जिसमें माध्यमिक विद्यालयों में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाएं भी सम्मिलित हैं) हेतु केन्द्रांश/राज्यांश की द्वितीय किस्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,


उपर्युक्त विषयक मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के पत्र संख्या-म०भ० प्रा०/6081/2015-16 दिनांक 05.10.2015 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत मध्यान्ह भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम-कुकिंग लागत आदि योजना में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष मध्यान्ह भोजन वितरण व्यवस्था के दृष्टिगत परिवर्तन लागत के रूप में प्राथमिक विद्यालयों (एन० सी० एल० पी० विद्यालयों सहित) विद्यालयों (जिसमें माध्यमिक विद्यालयों में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाएं भी सम्मिलित हैं) हेतु केन्द्रांश के रूप में रू०-2961.64 लाख (रू० उनतीस करोड़ इकसठ लाख चौसठ हजार मात्र) तथा राज्यांश के रूप में रू०-987.10लाख (रू० नौ करोड़ सत्तासी लाख दस हजार मात्र) अर्थात् कुल रू०-3948.74 लाख (रू० उनतालिस करोड़ अडतालिस लाख चौहत्तर हजार मात्र) तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु केन्द्रांश के रूप में रू०-1845.29 लाख (रू० अटठारह करोड़ पैतालिस लाख उनतीस हजार मात्र) व राज्यांश के रूप में रू०-614.94 लाख (रू० छः करोड़ चौदह लाख चौरान्बे हजार मात्र) कुल रू०-2460.23 लाख (रू० चौबीस करोड़ साठ लाख तेइस हजार मात्र) अर्थात् कुल रू०-6408.97 लाख (रू० चौसठ करोड़ आठ लाख सन्तान्बे हजार मात्र) की धनराशि द्वितीय किस्त के रूप में संलग्न जनपदवार विवरण 1 व 2 के अनुसार व्यय किए जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। प्राथमिक विद्यालयों में पके-पकाये भोजन की व्यवस्था हेतु परिवर्तन लागत की दर रू० 3.76 प्रति छात्र प्रतिदिन होगी जिसमें केन्द्रांश रू०-2.82 तथा राज्यांश रू०-0.94 होगा तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु पके-पकाये भोजन की व्यवस्था हेतु रू०-5.64 प्रतिछात्र प्रतिदिन होगी जिसमें केन्द्रांश रू०-4.23 तथा राज्यांश रू०-1.41 होगा।

2- वास्तविक धनराशि का आहरण ही कोषागार से किया जायेगा एवं जितनी धनराशि आहरित हो उसका व्यय निर्धारित अवधि में सुनिश्चित कर लिया जाय। योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा व योजना का समुचित अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी अनियमितता के लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।



- 3- यह सुनिश्चित किया जायेगा कि मध्याह्न भोजन का लाभ वर्ष भर भारत सरकार द्वारा निर्धारित कार्य दिवसों तक ही सीमित रखा जायेगा।
- 4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग एस0सी0एस0पी0 हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।
- 5- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों/प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायेगा।
- 6- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक '2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं-0103-मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम- कुकिंग लागत आदि (के.75/रा.25-के.+रा.)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)' के नामे डाला जाएगा।
- 7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-ई-11-1303/दस-2015 दिनांक 04.12.2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय,

 (अमिताभ त्रिपाठी)
 संयुक्त सचिव।


संख्या-1409(1)/79-6-2015-1066/2010 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 2- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 3- श्रमायुक्त, कानपुर।
- 4- निदेशक, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण उ0प्र0 लखनऊ।
- 5- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 6- सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 7- वित्त नियंत्रक, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण उ0प्र0 लखनऊ।
- 8- समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
- 9- समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0।
- 10- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
- 11- समस्त सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0प्र0।
- 12- समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0।
- 13- बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग।
- 14- वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1/वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-3।
- 15- वरिष्ठ शोध अधिकारी, अनुश्रवण प्रकोष्ठ, शिक्षा विभाग।
- 16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अमिताभ त्रिपाठी)
 संयुक्त सचिव।



Enclosure of G.O.


**[Mid-Day-Meal Scheme]
Fund Allocation for Conversion Cost
Upper Primary Schools (Including Upper Primary category in
Secondary Schools)
FY2015-16: Grant-83, PLAN: 2nd Installment**

(Rs. Lac)

Sl. No.	Districts	No. of children under SCP category estimated to avail MDM in PS (including Secondary Schools) in FY 2014-15 as per AWP 2015-16	No. of days, funds are being released for students in Col-3	Conversion Cost Funds Being Released as 2nd Installment		
				Central Share	State Share	Total
1	2	3	4	5	6	7=5+6
1	01-Agra	14092	50	23.27	7.76	31.03
2	02-Aligarh	20824	50	32.11	10.70	42.81
3	03-Allahabad	26984	50	43.19	14.39	57.58
4	04-Ambedkar nagar	12924	50	22.93	7.64	30.57
5	05-Auraiya	9803	50	14.91	4.97	19.88
6	06-Azamgarh	25654	50	42.73	14.24	56.97
7	07-Badaun	14333	50	23.91	7.97	31.88
8	08-Baghat	6884	50	11.05	3.68	14.73
9	09-Bahraich	17875	50	26.33	8.78	35.11
10	10-Ballia	20680	50	34.93	11.64	46.57
11	11-Balrampur	9723	50	15.74	5.24	20.98
12	12-Banda	14778	50	15.31	5.10	20.41
13	13-Barabanki	15142	50	34.16	11.38	45.54
14	14-Bareilly	14462	50	24.00	8.00	32.00
15	15-Basti	15975	50	27.26	9.08	36.34
16	16-Bhadohi	10051	50	16.89	5.63	22.52
17	17-Bijnour	24952	50	39.42	13.14	52.56
18	18-Bulandshahar	9930	50	16.57	5.52	22.09
19	19-Chandauli	14481	50	24.17	8.06	32.23
20	20-Chitrakoot	9096	50	15.02	5.00	20.02
21	21-Amethi	8100	50	13.61	4.53	18.14
22	22-Deoria	17772	50	40.02	13.34	53.36
23	23-Etah	10524	50	16.67	5.55	22.22
24	24-Faizabad	15821	50	26.08	8.69	34.77
25	25-Farrukhabad	12063	50	19.68	6.56	26.24
26	26-Fatehpur	15112	50	24.43	8.14	32.57
27	27-Firozabad	8750	50	14.50	4.83	19.33
28	28-G.B. Nagar	4496	50	13.52	4.51	18.03
29	29-Ghazipur	16494	50	27.08	9.02	36.10
30	30-Ghaziyabad	5543	50	30.36	10.12	40.48
31	31-Gonda	18754	50	32.28	10.76	43.04
32	32-Gorakhpur	21234	50	35.47	11.82	47.29
33	33-Hameerpur	7943	50	13.02	4.34	17.36
34	34-Hardoi	29606	50	49.71	16.57	66.28
35	35-Hathras	8348	50	13.01	4.34	17.35
36	36-Itawah	10806	50	17.66	5.88	23.54
37	37-J.P. Nagar	9137	50	15.35	5.12	20.47
38	38-Jalaun	10190	50	16.85	5.61	22.46

Sl. No.	Districts	No. of children under SCP category estimated to avail MDM in PS (including Secondary Schools) in FY 2014-15 as per AWP 2015-16	No. of days, funds are being released for students in Col-3	Conversion Cost Funds Being Released as 2nd Installment		
				Central Share	State Share	Total
1	2	3	4	5	6	7=5+6
39	39-Jaunpur	33014	50	53.91	17.97	71.88
40	40-Jhansi	11055	50	18.57	6.19	24.76
41	41-Kannauj	11433	50	18.59	6.19	24.78
42	42-Kanpur Dehat	11688	50	19.08	6.36	25.44
43	43-Kanpur Nagar	13881	50	22.62	7.54	30.16
44	44-Kaas Ganj	7735	50	16.55	5.51	22.06
45	45-Kaushambi	7117	50	14.50	4.83	19.33
46	46-Kushinagar	16189	50	26.53	8.84	35.37
47	47-Lakhimpur Kheri	31433	50	51.26	17.09	68.35
48	48-Lalitpur	12148	50	20.03	6.67	26.70
49	49-Lucknow	15136	50	25.14	8.38	33.52
50	50-Mahoba	7466	50	19.76	6.59	26.35
51	51-Mahrajganj	14842	50	25.04	8.34	33.38
52	52-Mainpuri	7466	50	53.49	17.83	71.32
53	53-Mathura	10004	50	21.53	7.18	28.71
54	54-Mau	11800	50	20.26	6.75	27.01
55	55-Meerut	13250	50	19.40	6.46	25.86
56	56-Mirzapur	17110	50	28.52	9.50	38.02
57	57-Moradabad	11808	50	19.06	6.35	25.41
58	58-Muzaffarnagar	7321	50	12.62	4.21	16.83
59	59-Pilibhit	10630	50	17.77	5.92	23.69
60	60-Pratapgarh	19695	50	34.55	11.51	46.06
61	61-Rai Bareilly	14012	50	38.18	12.72	50.90
62	62-Rampur	8691	50	14.63	4.87	19.50
63	63-Saharanpur	14259	50	23.50	7.83	31.33
64	64-Santkabir Nagar	9380	50	15.71	5.24	20.95
65	65-Shahjahanpur	22983	50	38.24	12.74	50.98
66	66-Shrawasti	4821	50	8.22	2.74	10.96
67	67-Siddharthnagar	17065	50	28.07	9.36	37.43
68	68-Sitapur	33736	50	57.28	19.09	76.37
69	69-Sonbhadra	12813	50	21.57	7.19	28.76
70	70-Sultanpur	13690	50	23.12	7.71	30.83
71	71-Unnao	13287	50	22.11	7.37	29.48
72	72-Varanasi	23593	50	38.22	12.74	50.96
73	73-Sambhal	11747	50	20.02	6.67	26.69
74	74-Hapur	5502	50	7.92	2.64	10.56
75	75-Shamli	3989	50	6.52	2.17	8.69
Total		1051125	50	1845.29	614.94	2460.23

(क) - जो कोश करोड साठ लाख तकियन हुआ (मात्र)


 (अभिनाम शिखर)
 अतिरिक्त अधिकारी

Enclosure of G.O.


**[Mid-Day-Meal Scheme]
Fund Allocation for Conversion Cost
Primary Schools (Including Primary category in Secondary Schools)
FY2015-16: Grant-83, PLAN: 2nd Installment**

(Rs. Lac)

Sl. No.	Districts	No. of children under SCP category estimated to avail MDM in PS (including Secondary Schools) in FY 2014-15 as per AWP 2015-16	No. of days, funds are being released for students in Col-3	Conversion Cost Funds Being Released as 2nd Installment		
				Central Share	State Share	Total
1	2	3	4	5	6	7=5+6
1	01-Agra	43149	50	46.32	15.44	61.76
2	02-Aligarh	29731	50	31.05	10.35	41.40
3	03-Allahabad	66711	50	71.94	23.98	95.92
4	04-Ambedkar nagar	26078	50	29.35	9.78	39.13
5	05-Auraiya	21145	50	19.25	6.42	25.67
6	06-Azamgarh	65223	50	70.40	23.46	93.86
7	07-Badaun	50902	50	54.63	18.21	72.84
8	08-Baghat	12391	50	13.32	4.44	17.76
9	09-Bahraich	64278	50	66.07	22.02	88.09
10	10-Ballia	58024	50	62.72	20.91	83.63
11	11-Balrampur	38705	50	40.65	13.55	54.20
12	12-Banda	32007	50	35.60	11.86	47.46
13	13-Barabanki	43693	50	63.58	21.19	84.77
14	14-Bareilly	47417	50	51.14	17.04	68.18
15	15-Basti	36066	50	39.74	13.25	52.99
16	16-Bhadohi	20335	50	22.34	7.44	29.78
17	17-Bijnour	43900	50	45.44	15.15	60.59
18	18-Bulandshahar	33752	50	36.04	12.01	48.05
19	19-Chandauli	30809	50	33.17	11.06	44.23
20	20-Chitrakoot	21887	50	23.27	7.75	31.02
21	21-Amethi	23983	50	25.84	8.61	34.45
22	22-Deoria	39959	50	54.03	18.01	72.04
23	23-Etah	26292	50	28.44	9.48	37.92
24	24-Faizabad	35659	50	38.72	12.91	51.63
25	25-Farrukhabad	28045	50	29.93	9.98	39.91
26	26-Fatehpur	38705	50	41.42	13.81	55.23
27	27-Firozabad	27811	50	29.36	9.79	39.15
28	28-G.B. Nagar	11779	50	21.14	7.05	28.19
29	29-Ghazipur	53110	50	56.62	18.87	75.49
30	30-Ghaziyabad	12639	50	26.42	8.81	35.23
31	31-Gonda	56872	50	61.96	20.65	82.61
32	32-Gorakhpur	52987	50	58.28	19.43	77.71
33	33-Hameerpur	15056	50	16.13	5.38	21.51
34	34-Hardoi	83391	50	90.67	30.22	120.89
35	35-Hathras	20565	50	21.31	7.10	28.41
36	36-Itawah	20787	50	22.25	7.41	29.66
37	37-J.P. Nagar	21067	50	22.12	7.37	29.49
38	38-Jalaun	21112	50	22.70	7.56	30.26
39	39-Jaunpur	59824	50	64.59	21.53	86.12
40	40-Jhansi	22566	50	24.32	8.11	32.43
41	41-Kannauj	27596	50	28.95	9.65	38.60
42	42-Kanpur Dehat	25383	50	26.75	8.91	35.66
43	43-Kanpur Nagar	29777	50	31.61	10.53	42.14
44	44-Kaas Ganj	24282	50	25.71	8.57	34.28

Sl. No.	Districts	No. of children under SCP category estimated to avail MDM in PS (including Secondary Schools) in FY 2014-15 as per AWP 2015-16	No. of days, funds are being released for students in Col-3	Conversion Cost Funds Being Released as 2nd Installment		
				Central Share	State Share	Total
1	2	3	4	5	6	7=5+6
45	45-Kaushambi	23499	50	27.40	9.13	36.53
46	46-Kushinagar	52504	50	57.00	19.00	76.00
47	47-Lakhimpur Kheri	77717	50	82.82	27.60	110.42
48	48-Lalitpur	25658	50	27.29	9.10	36.39
49	49-Lucknow	34836	50	37.52	12.51	50.03
50	50-Mahoba	15137	50	24.41	8.14	32.55
51	51-Mahrajganj	40712	50	44.44	14.81	59.25
52	52-Mainpuri	24212	50	72.29	24.10	96.39
53	53-Mathura	23724	50	28.52	9.50	38.02
54	54-Mau	25594	50	29.17	9.72	38.89
55	55-Meerut	20154	50	20.34	6.78	27.12
56	56-Mirzapur	45619	50	49.16	16.38	65.54
57	57-Moradabad	28029	50	29.99	10.00	39.99
58	58-Muzaffarnagar	23462	50	41.88	13.96	55.84
59	59-Pilibhit	25097	50	26.96	8.98	35.94
60	60-Pratapgarh	41897	50	46.58	15.52	62.10
61	61-Rai Bareilly	32351	50	35.39	11.80	47.19
62	62-Rampur	25629	50	27.89	9.29	37.18
63	63-Saharanpur	29203	50	31.37	10.45	41.82
64	64-Santkabar Nagar	24792	50	27.29	9.09	36.38
65	65-Shahjahanpur	55389	50	59.50	19.83	79.33
66	66-Shrawasti	15833	50	17.35	5.78	23.13
67	67-Siddharthnagar	58160	50	63.58	21.19	84.77
68	68-Sitapur	88446	50	95.79	31.93	127.72
69	69-Sonbhadra	37903	50	41.33	13.77	55.10
70	70-Sultanpur	35362	50	38.31	12.77	51.08
71	71-Unnao	38352	50	41.06	13.68	54.74
72	72-Varanasi	46040	50	49.04	16.35	65.39
73	73-Sambhal	33637	50	37.01	12.34	49.35
74	74-Hapur	8538	50	9.14	3.04	12.18
75	75-Shamli	14343	50	16.53	5.51	22.04
Total		2637279	50	2961.64	987.10	3948.74

३. कुलकुल २२१३ अडनाललल ललरु अडललर कुलल अड


 (अडलललल ललरुअडल)
 अडलललल ललरुअडल

प्रेषक,

अमिताभ त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश ।

शिक्षा अनुभाग-6


लखनऊ: दिनांक: 04 दिसम्बर, 2015

विषय:—वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति सब प्लान से परिवर्तन लागत मद में प्राथमिक/उच्च प्राथमिक (एन०सी०एल०पी० विद्यालयों सहित) विद्यालयों (जिसमें माध्यमिक विद्यालयों में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाएं भी सम्मिलित हैं) हेतु केन्द्रांश/राज्यांश की द्वितीय किस्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के पत्र संख्या-म०भ०० प्रा०/6081/2015-16 दिनांक 05.10.2015 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत मध्यान्ह भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम-कुकिंग लागत आदि योजना में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष मध्यान्ह भोजन वितरण व्यवस्था के दृष्टिगत परिवर्तन लागत के रूप में प्राथमिक विद्यालयों (एन० सी० एल० पी० विद्यालयों सहित) विद्यालयों (जिसमें माध्यमिक विद्यालयों में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाएं भी सम्मिलित हैं) हेतु केन्द्रांश के रूप में रू०-2961.64 लाख (रू० उनतीस करोड़ इकसठ लाख चौसठ हजार मात्र) तथा राज्यांश के रूप में रू०-987.10लाख (रू० नौ करोड़ सत्तासी लाख दस हजार मात्र) अर्थात् कुल रू०-3948.74 लाख (रू० उनतालिस करोड़ अडतालिस लाख चौहत्तर हजार मात्र) तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु केन्द्रांश के रूप में रू०-1845.29 लाख (रू० अटठारह करोड़ पैतालिस लाख उनतीस हजार मात्र) व राज्यांश के रूप में रू०-614.94 लाख (रू० छः करोड़ चौदह लाख चौरान्बे हजार मात्र) कुल रू०-2460.23 लाख (रू० चौबीस करोड़ साठ लाख तेइस हजार मात्र) अर्थात् कुल रू०-6408.97 लाख (रू० चौसठ करोड़ आठ लाख सन्तान्बे हजार मात्र) की धनराशि द्वितीय किस्त के रूप में संलग्न जनपदवार विवरण 1 व 2 के अनुसार व्यय किए जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। प्राथमिक विद्यालयों में पके-पकाये भोजन की व्यवस्था हेतु परिवर्तन लागत की दर रू० 3.76 प्रति छात्र प्रतिदिन होगी जिसमें केन्द्रांश रू०-2.82 तथा राज्यांश रू०-0.94 होगा तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु पके-पकाये भोजन की व्यवस्था हेतु रू-5.64 प्रतिछात्र प्रतिदिन होगी जिसमें केन्द्रांश रू०-4.23 तथा राज्यांश रू०-1.41 होगा।

2- वास्तविक धनराशि का आहरण ही कोषागार से किया जायेगा एवं जितनी धनराशि आहरित हो उसका व्यय निर्धारित अवधि में सुनिश्चित कर लिया जाय। योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा व योजना का समुचित अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी अनियमितता के लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। ✓



- 3- यह सुनिश्चित किया जायेगा कि मध्यान्ह भोजन का लाभ वर्ष भर भारत सरकार द्वारा निर्धारित कार्य दिवसों तक ही सीमित रखा जायेगा।
- 4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग एस0सी0एस0पी0 हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।
- 5- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों/प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायेगा।
- 6- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक '2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं-0103-मध्यान्ह भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम- कुकिंग लागत आदि (के.75/रा.25-के.+रा.)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)' के नामे डाला जाएगा।
- 7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-ई-11-1303/दस-2015 दिनांक 04.12.2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय,

(अमिताभ त्रिपाठी)

संयुक्त सचिव।

संख्या-1409(1)/79-6-2015-1066/2010 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 2- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 3- श्रमायुक्त, कानपुर।
- 4- निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उ0प्र0 लखनऊ।
- 5- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 6- सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 7- वित्त नियंत्रक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उ0प्र0 लखनऊ।
- 8- समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
- 9- समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0।
- 10- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
- 11- समस्त सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0प्र0।
- 12- समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0।
- 13- बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग।
- 14- वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1/वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-3।
- 15- वरिष्ठ शोध अधिकारी, अनुश्रवण प्रकोष्ठ, शिक्षा विभाग।
- 16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
dnb
04.12.15

(अमिताभ त्रिपाठी)

संयुक्त सचिव।

